न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 418/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– जेठाराम पुत्र मिरगो पत्नी आसुराम जाति जाट निवासी जोगी नाडा, कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर 2– श्रीमती नोजी पुत्री आसुराम (माता का नाम मिरगो) जाति जाट निवासी बेराथल, तहसील खींवसर, जिला नागौर		1– सांवलराम पुत्र बगताराम (माता का नाम सोनी) 2– मोहनी पत्नी तिलाराम 3– भूराराम पुत्र तिलाराम (माता का नाम मोहनीदेवी) 4– राजुराम पुत्र तिलाराम (माता का नाम मोहनीदेवी) 5– अणची पुत्री तिलाराम (माता का नाम मोहनीदेवी) 6– पप्पु पुत्री तिलाराम (माता का नाम मोहनीदेवी) 7– गुड्डी पुत्री तिलाराम (माता का नाम मोहनीदेवी) जातियान जाट निवासीगण ग्राम पाबूसर, करणु तहसील खींवसर जिला नागौर (रेस्पो० संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मोहनीदेवी) 8– नोजी पत्नी मानाराम (माता का नाम सोनी) 9– जगदीश पुत्र पुराराम (माता का नाम जमना) 10–वरजु पुत्र पुराराम (माता का नाम जमना) 11–फुसी पुत्री पुराराम (माता का नाम जमना) 12– नेनी पुत्री पुराराम (माता का नाम जमना) 13– चुकी पुत्री पुराराम (माता का नाम जमना) 14– हरकू पुत्री पुराराम (माता का नाम जमना) 15– कमला पुत्री पुराराम (माता का नाम जमना) 16– पेंपी पुत्री पुराराम (माता का नाम जमना) जातियान जाट निवासीगण मगरेवाली ढाणियां, कांटियां तहसील खींवसर जिला नागौर 17– सरपंच ग्राम पंचायत पुनासर पंचायत समिति ओसियां 18– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अपील संख्या 2/2014 अनवान जेठाराम वगैरा बनाम सांवलाराम वगैरा मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 2–5–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पूनासर के खसरा नंबर 512 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 की पैतृक भूमि है, उक्त भूमि के पूर्व खातेदार पेमाराम थे । पूर्व खातेदार पेमाराम के एक पुत्र धुडाराम एवं दो पुत्रियां मिरगा एवं सोनी थी । उक्त पूर्व खातेदार पेमाराम के फोत होने पर उक्त भूमि धुडाराम के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई तथा धुडाराम के फौत होने पर उक्त भूमि उसकी पत्नी धापू बेवा धूडाराम जाट के नाम दर्ज हो गई तथा उक्त खातेदार धापू के कोई जायंदा संतान नही हुई तथा न ही धुडाराम एवं धापु ने अपने जीवन काल मे किसी को गोद नही लिया । उक्त खातेदार धापु के फोत होने पर अपीलाधीन भूमि का नामांतरकरण संख्या 655 उक्त म्युटेशन की पुश्त पर वंशावली अनुसार भरकर पटवारी हल्का ने पेश किया, जिसे ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 27–11–2012 को प्रस्ताव संख्या 1 के तहत पुश्त पर दर्ज वंशावली मे सोनी पुत्री पेमाराम के दो पुत्रियां नोजी एवं जमना के नाम दर्ज नही होने के कारण व उक्त भूमि पर वंशावली मे दर्ज नामों मे से किसी का भी भौतिक रूप से कब्जा नही होने के कारण म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत पुनासर द्वारा अस्वीकृत (खारीज) कर दिया ।

उक्त म्युटेशन पर ग्राम पंचायत पुनासर द्वारा दिनांक 27–11–2012 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर उक्त अपील पत्रावली को बिना पक्षकारो को नोटिस या सूचना दिये ही लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बापिणी मे रखते हुए अपील को मयाद बाहर पेश होना मानते हुए पक्षकारो को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–2016 के द्वारा खारीज कर दी जाने पर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तथा पूर्व खातेदार पेमाराम के सजरा खानदान जो अपील मे वर्णित है की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 15 ही स्व0 पेमाराम के वारिसान व उतराधिकारी है इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 15 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जानी न्यायोचित थी परंतु ग्राम पंचायत ने केवल कब्जे के आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 655 को निरस्त कर करने मे विधिक भूल की थी तथा उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील पत्रावली को बिना पक्षकारो को सूचित किये सीधे लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बापिणी मे ले जाकर अपील को मयाद बाहर होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–2016 के द्वारा खारीज कर दी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने ग्राम पंचायत पूनासर ने अपीलाधीन म्युटेशन केवल इस आधार पर खारीज किया है कि अपीलाधीन भूमि पर नामांतरकरण मे वर्णित उतराधिकारियो का कब्जा नही है परंतु यह कही भी उल्लेख नही किया कि अपीलाधीन भूमि पर कब्जा किसका व किस हैसियत से है इसलिए ग्राम पंचायत का अपीलाधीन म्युटेशन पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर परीक्षण किये बिना ही अपील को मयाद बाहर मानने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न मामलो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि न्यायालय मे प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह प्रतीत होता है कि अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है तो ऐसी स्थिति मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा प्रकरण को मयाद पर नही बल्कि गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–2016 को निरस्त करने तथा ग्राम पूनासर का म्युटेशन संख्या 655 को बहाल रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांटगण म्युटेशन खालते समय एवं उक्त म्युटेशन पर ग्राम पंचायत पुनासर द्वारा पारित आदेश के समय उपस्थित थे जिसकी पुष्टि अपीलाधीन म्युटेशन की पुश्त पर दर्शाई गई पेमाराम की वंशावली पर अपीलांट जेठाराम के अंगुठा निशान है अथार्त अपीलांट को उक्त म्युटेशन पर पारित आदेश की जानकारी दिनांक 5–11–2012 को ही हो गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायायय मे प्रस्तुत अपील मे म्युटेशन की जानकारी दिनांक 27–12–2013 को होने का गलत तथ्य अंकित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 655 एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 655 मे वर्णित खसरा नंबर 512 की कुल 23.09 बीघा भूमि धापू बेवा धूडाराम जाति जाट के खातेदारी मे दर्ज है तथा उक्त भूमि की खातेदार श्रीमती धापू लाऔलाद फोत हो जाने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे विरासत के भरे गये नामांतरकरण को ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा कब्जे के अभाव मे तथा म्युटेशन के लिए प्रस्तुत वंशावली के अपूर्ण होने के आधार पर खारीज किया गया है, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम म्युटेशन अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना तथा पक्षकारो को सुने बिना केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दिया, जिसे विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है क्योकि अपीलाधीन भूमि वर्तमान मे मृत खातेदार के नाम चली आ रही है जिसे म्युटेशन की कार्यवाही के जरिये मृतका के विधिक वारिसान के नाम दर्ज होनी है ।

अतः अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–16 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अकिारी ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील का मयाद एवं गुणावगुण पर परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 2–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर